न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्या:- 80/2020/आवेदन 212आरटीए

1. दीपक कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रार्थी

ब ना म

1. मुन्नीदेवी पत्नि औमप्रकाश
2. कमलेश पुत्र औमप्रकाश
3. ज्योति पुत्री औमप्रकाश
   जति ब्राह्मण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. पटवारी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. उप पंजीयक अधीकारी पलसाना तहसील तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर।

—अप्रार्थीगण

आवेदन अं0 धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थिति:

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सी.एम.शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।
3. शेष अप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

निर्णय दिनांक: 15.07.2021

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 949/3990 रकबा 0.65 है0 खसरा नम्बर 947 रकबा 0.06 है0 खसरा नम्बर 948 रकबा 0.12 है0 किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 खसरा नम्बर 950 रकबा 0.01 है0, 5223/949 रकबा 1.7975 है0, खसरा नम्बर 5219/951 रकबा 0.60 है0 खसरा नम्बर 5221/951 रकबा 0.09 है0 किता 4 कुल रकबा 2.475 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उपरोक्त भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थी की सयुक्त कब्जा काश्त की पैतृक एवं अविभाजित कृषि भूमि है। आवेदक एवं अनावेदकगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है

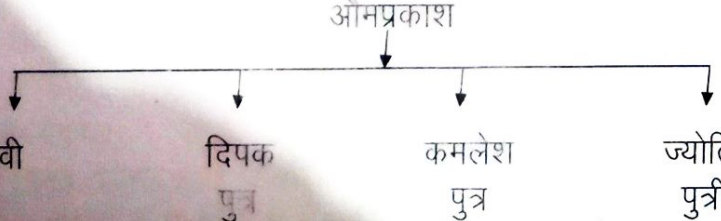

पूर्व में उपरोक्त भूमियों की खातेदारी आवदेक एवं अनावेदकगण के दादा के नाम थी। उनकी मृत्यु होने पर जरिए विरासत आवेदक एवं अनावेदकगण के

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

पिता/पति के नाम से दर्ज हो गयी थी। आवेदक एवं अनावेदकगण के पिता/पति औमप्रकाश की मृत्यु होने पर जरिए विरासत के नामान्तकरण से आवेदक एवं अनावेदकगण के हिस्से में आयी थी। आवेदक ने अपने हक हिस्से में आई कृषि भूमियों को विक्रय कर दिया था। प्रार्थी की माता अनावेदक संख्या 1 ने अपने हिस्से की भूमियों को आवेदक एवं अनावेदकगण संख्या 2 व 3 को मौके पर बराबर दे रखी है और उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार चले आ रहे है। अनावेदक संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा में से अनावेदकगण संख्या 2 व 3 को उनके हिस्से में आई भूमिया को जरिए रीलिज डीड द्वारा उनके नाम करवा दी है परन्तु आवेदक को उसके हिस्से में नाम नहीं करवा रही है। जबकि मौके पर बराबर बराबर दे रखी है। जिनका आवेदक एवं अनावेदकगण ने पूर्वजों के समय से मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है उसी अनुसार आवेदक एवं अनावेदकगण अपने अपने हक हिस्सा अनुसार मौके पर पुख्ता मकान बना कर अपने परिवार के साथ आवास निवास कर काबिज काश्तकार चले आ रहे है। अनावेदकगण काफी तेज तर्रार किस्म के व्यक्ति है जो आवेदक के कब्जा काश्त की भूमि को हड़पने करने की कुचेष्टा में लगे हुए है जिसके चलते अन्य अनावेदगण से साज कर आवेदक की भूमि से आवेदक को बेदखल करने पर आमदा जिसमें अनावेदगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है यदि अनावेदकगण अपने कुउद्देश्य में सफल हो गये तो आवेदक को इस कदर असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ती बाद में किसी भी प्रकार किया जाना सम्भव नहीं है इसलिए अनावेदकगण को वाद ग्रस्त कृषि भूमि से आवेदक से बलात बेदखल करने उपयोग उपभोग में बाधा डालने बेचान करने या किसी भी प्रकार दीगर व्यक्तियों को हस्तानान्तरण करने आवेदक के उपयोग उपभोग में बाधा डालने के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना सादर प्रार्थनीय है। प्रथम दृष्टया मामला आवेदक का सुदृढ़ है सुविधा का सन्तुलन भी आवेदक के पक्ष में होने से अपूर्तनीय क्षति भी आवेदक को ही हो रही है। यदि अनावेदकगण अपने कुउदेश्य में सफल हो गये तो आवेदक को इस कदर अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए अनावेदकगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा में पाबन्द किया जाना सादर प्रार्थनीय है।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से वकील सीएम शर्मा हाजिर आयें शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. अप्रार्थीण वकील ने जबाब आवेदन में कथन किया कि ग्राम खाटूश्यामजी निवासी स्व0 औमप्रकाश शर्मा के कानूनी वारीशान आवेदक दीपक पुत्र अनोवदक संख्या 1 मुन्नी देवी धर्मपत्नि अनावेदक संख्या 2 कमलेश पुत्र एवं अनावेदक संख्या 3 ज्योति पुत्री है। इसके अलावा कोई वारीश नही है

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

जिनकी ताईद आवेदन पत्र में प्रस्तुत सजरा खानदान भी कर रहा है। आवेदक व अनावेदकगण संख्या 2 व 3 के द्वारा अनावेदक संख्या 1 मुन्नी देवी के हक में तहसीलदार महोदय दांतारामगढ के यहा हकत्याग पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अनावेदक संख्या 2 कमलेश नाबालिग होने से उसका हक त्याग नहीं हुआ व आवेदक व अनावेदक संख्या 3 का हकत्याग मून्नी देवी के नाम से तस्दीक हो गया। आवेदक की शादी के पश्चात उसके सुसराल वालों आवेदक व आवेदक की पत्नि व अन्य भू माफिया की नजर इनकी संयुक्त कृषि आराजियात व आबादी भूमि व माकानात पर हो गयी जिसके कारण से वादी द्वारा उक्त हकत्याग को वरिष्ठ सिविल न्यायालय दांतारामगढ के यहां वाद दायर कर चुनौती दी गयी व अन्य राजस्व सिविल मुकदमें कृषि व आबादी सम्पदा के प्रस्तुत कर दिये गये। जिसमें से सम्पूर्ण कृषि भूमि का आवेदक बेचान कर चुका है। न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय दांतारामगढ ने बउवानी दीपक कुमार बनाम श्रीमती मुन्नी देवी व अन्य मुकदमा नम्बर 152/2014 में राजीनामा के द्वारा आवेदक को उसका 1/4 हिस्सा दे दिया जो निम्न प्रकार है– आबादी भूमि, आवासीय मकान व नोहरे में दीपक के 1/4 हिस्से में खाटूश्यामजी के वार्ड नम्बर 3 का नोहरा भूखण्ड पट्टा संख्या 3/77–78/8 में 1/2 हिस्सा राजीनामा के मुताबिक सम्भला दिया गया है जिसका बेचान आवेदक दीपक कुमार द्वारा सोहन लाल निठारवाल निवासी खाटूश्यामजी को कर दिया गया। इस प्रकार से आवेदक व अनावेदकगण संख्या 1 ता 3 के मध्य सम्पूर्ण आबादी व कृषि भूमि अर्थात सम्पूर्ण जमीन जायदाद का बंटवारा कर आवेदक को उसका 1/4 हक हिस्से का सम्भला दिया गया। ग्राम खाटुश्यामजी में अवस्थित आराजीयात खसरा नम्बर 949, 950, 951 किता 3 कुल रकबा 3.33 है0 में वादी का 1/4 हक हिस्सा 0.8325 है0 थी। जिसको आवेदक द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सुरेश कुमार पुत्र गणपत लाल जाति महाजन निवासी खाटूश्यामजी को बेचान कर दिया। अनावेदकगण संख्या 1 ता 3/ उत्तरदातागण के 3/4 हिस्से व वादी द्वारा विक्रीत 1/4 हिस्सा जो पवन मित्तल महेन्द्र मित्तल रमाकांत मित्तल व सुभाष मित्तल ने सहमति से बंटवारा कर तहसीलदार महोदय दांतारामगढ के आदेश क्रमांक भू.अ. 2019/2172–74 दिनांक 23.07.2019 की पालना में नामान्तकरण संख्या 3822 दिनांक 07.08.2019 को स्वीकृत कर उक्त पवन मित्तल वगै0 के नये खसरा नम्बर 5220/351 रकबा 0.13 है0 व नये खसरा नम्बर 5222/949 रकबा 0.5225 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8325 है0 बन गये तथा अनावेदकगण संख्या 1 ता 3 के वाद मद संख्या 2 में वर्णित नये खसरा नम्बर 5219/951 रकबा 0.06 है0 खसरा नम्बर 5221/951 रकबा 0.09 है0 खसरा नम्बर 5223/949 रकबा 1.7975 तथा खसरा नम्बर 950 रकबा 0.01 है0 (गै.मू.चाह) बना दिये गये। इसलिए आवेदक का आवेदन पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित खसरा नम्बरान से कोई लेना देना नहीं रहा है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

खसरा नम्बर 949/3990 रकबा 0.68 है0 खसरा नम्बर 947 रकबा 0.06 है0 व खसरा 948 रकबा 0.12 है0 किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 में आवेदक दीपक कुमार का 1/8 हक हिस्सा था, जो उक्त वर्णित न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय दांतारामगढ में मुकदमा नम्बर 152/2014 बउनवानी दीपक कुमार बनाम श्रीमाती मुन्नीदेवी व अन्य में वर्णित राजीनामा के पूर्व ही आवेदक दीपक कुमार अपने 1/8 हक हिस्से का बेचान बनवारी लाल पुत्र महादेव जाति जाट निवासी जोधावाली की ढाणी तन चोमु जिला जयपुर को जरिए विक्रय पत्र कर दिया था। इसलिए आवेदक का कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है। आवेदक दिपक कुमार जो भू माफिया शराब माफिया के संगत रखता है तथा अपने हक हिस्सा की सम्पूर्ण सम्पदा का बेचान कर चुका है। आवेदक का विवादित सम्पदा से किसी भी प्रकार का कोई हक अधिकार सम्बन्ध सरोकार नहीं है तथा आवेदक द्वारा अनावेदक गण संख्या 1 ता 3 के सवैधानिक अधिकारों को लाठी व ताकत के बल पर नाजायज चुनौती दे रखी है। ऐसी स्थिति में आवेदक का आवेदन भारी हर्जा खर्चा पर खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

4. वकील प्रार्थी ने लिखित बहस के साथ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विभिन्न प्रकरणों मे विधि के द्वारा पारित निर्णयों कि नजरे पेश की। आवेदन 212 आरटीए पर बहस वकील अप्रार्थी की सुनी गयी।
5. आवेदन पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं लिखित बहस का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों व मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अवलोकन किया गया। आवदेक अपने हक हिस्से में आई कृर्षि भूमियें का विक्रय कर दिया था। आवदेक कृषि भूमियों में से हिस्सा लेने हेतु वाद मय आवदेन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम पेश किया है। अतः आवदेक का हिस्सा वाद में तय होना है इस कारण प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी का आवेदन 212 आरटीएक्ट खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर व मूलवाद के साथ संलग्न हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ